**मध्यप्रदेश शासन**
**वित्त विभाग**
**वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल**

क्रमांक : एफ 4-3/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर ,2009

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--।।।--

पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को वर्तमान में 86% मंहगाई भत्ता (35% एक मुश्त अतिरिक्त वृद्धि जोड़कर) दिया जा रहा है ।

**2/** राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृति किया जाये :-

| **अवधि जब से देय है** | **महँगाई भत्ते की दर प्रतिशत** |
|---|---|
| दिनांक 1-11-2009 (माह नवम्बर, 2009 का वेतन जो दिसम्बर 2009 में देय होगा ) | मूल वेतन का 3% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर 89%) |
| दिनांक 01-01-2010 (माह जनवरी, 2010 का वेतन जो फरवरी 2010 में देय होगा ) | मूल वेतन का 3% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर 92%) |

**3/** मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

sunita/1*//peripat/ 10/24/2009

# लोक शिक्षण संचालनालय
## मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/c/124/शिक्षाकर्मी/09/908 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश. की ओर म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 4–3/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2009 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(वी.एस. सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

**मध्यप्रदेश शासन**
**वित्त विभाग**
**वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल**

क्रमांक : एफ 4-6/2009/नियम/चार    भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर ,2009

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को महगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--।।।--

पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को वर्तमान में 82% मंहगाई भत्ता (35% अतिरिक्त वृद्धि को जोडकर) दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया जाये :-

| **अवधि जब से देय है** | **महँगाई भत्ते की दर प्रतिमाह** |
|---|---|
| दिनांक 1-7-2009 (माह जुलाई, 2009 का वेतन जो अगस्त 2009 में देय होगा ) | मूल वेतन का 4% (पूर्व के मंहगाई भत्ते तथा 35% अतिरिक्त वृद्धि को जोड़कर 86%) |

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

amita/3*//paripat/

10/24/2009

# लोक शिक्षण संचालनालय
## मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/C/124/शिक्षाकर्मी/09/911 भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2009

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर,
3. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम,
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

मध्यप्रदेश. की ओर म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 4–6/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24अक्टूबर 2009 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(वी.एस. सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.